कानून

धारा 300 संशोधन बिल 2010

केंद्रीय सरकार *भारतीय दण्ड संहिता व अन्य दूसरे कानून (संशोधन) बिल 2010* के माध्यम से खाप पंचायतों पर अंकुश लगाना चाहती है। *भारतीय दंड संहिता* की धारा 300 जिसमें हत्या की चार परिभाषाएं दर्ज है, में पांचवा खण्ड जोड़ा जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के तहत खाप पंचायतों द्वारा मौत के फतवे जारी करने वाले सभी लोगों को मुख्य अभियुक्त यानी "कत्ल" के जुर्म में दोषी माना जाएगा। इन सभी दोषी व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जा सकेगा। अब तक खाप के दोषियों को "साज़िश" करने के जुर्म में अधिक से अधिक पांच वर्ष की सज़ा का प्रावधान था।

धारा 300 में 'कत्ल' के लिए मजबूर करने वाले कारणों को निम्न चार वर्गों में परिभाषित किया गया है-

1. अगर मौत के लिए ज़िम्मेदार कारण का इस्तेमाल 'मौत' के मकसद से किया गया हो।
2. अगर शारीरिक चोट इस तरह की हो जिससे व्यक्ति की मौत हो सके।
3. अगर शारीरिक हिंसा इस उद्देश्य से की गई हो जिससे व्यक्ति की प्राकृतिक मौत हो जाये।
4. अगर कार्य अंजाम देने वाले व्यक्ति को पता हो कि कार्य इस कदर खतरनाक है कि व्यक्ति की मौत हो सकतीहै या उससे कोई ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने की संभावना है जिससे मृत्यु हो सकती हो और यह कार्य मौत या मौत तक पहुंचाने वाली चोट की ज़िम्मेवारी लिए बगैर अंजाम दिया गया हो।

दिल्ली व हरियाणा में होने वाली 'सम्मान जनित हत्याओं' ने इस तरह के कानून की अविलम्ब ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल भारतीय प्रमाण कानून, हिन्दू विवाह कानून में संशोधन करके मासूम युवा दम्पतियों की सुरक्षा, खाप पंचायतों पर नियंत्रण तथा प्रतिकारी कार्यवाही भी करने की कोशिश करेगा। इस संशोधन में 'अपमान' तथा 'अपमान का अनुभव' कराने वाले व्यवहारों को भी परिभाषित किया जाएगा।

कानून में बदलाव का उद्देश्य उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाई करना है जो सामाजिक मानकों की अवहेलना करने वाले युवाओं व उनके परिवारों की मुखालफ़त करते हैं। उम्मीद है यह कानून जल्दी ही पारित होगा।

महेन्द्र कुमार सिंह, धनंजय महापात्र

साभार: जुलाई 8, टाइम्स ऑफ़ इण्डिया